

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा जिला झालावाड़
क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/...60./2020

दायर दिनांक 01/10/2020

उनवान:- ~~कन्हैयालाल~~ बनाम राज0 सरकार

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थी श्री कन्हैयालाल पिता भैरूलाल जाति तैली नि0 बोलियाबुजुर्ग तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का बोलियाबुजुर्ग की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोलियाबुजुर्ग तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 मे खाता संख्या 70 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्रम संख्या | ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं) |
|-------------|--|-------------|--------------------------------------|---|
| 1 | बोलियाबुजुर्ग प0म0 बोलियाबुजुर्ग तहसील सुनेल | 70 | कान्हा पिता भैरु | कन्हैयालाल पिता भैरूलाल |

(मनीषा तिवारी)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 01/10/2020

क्रमांक:- राजस्व/2020/1333-34

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री कन्हैयालाल पिता भैरूलाल जाति तैली नि0 बोलियाबुजुर्ग तहसील सुनेल को सूचनार्थ।



(मनीषा तिवारी)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ (राज०)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)